IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

उत्तराखण्ड में महिलाओं की स्थिति

Status Of Women In Uttarakhand

शोधार्थी –प्रियंका पाण्डे
राजनीति विज्ञान विभाग
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा

शोध सारांश– वैश्विक स्तर पर महिलाएँ मानव संसाधन का अहम् हिस्सा हैं। किसी भी राष्ट्र व समाज का विकास महिलाओं के विकास के बिना संभव नहीं हैं, समय–समय में विभिन्न सरकारों, विभिन्न संगठनों तथा आयोगों के द्वारा लगातार महिलाओं के उत्थान और उन्हें सशक्त करने का प्रयास किया जाता रहा हैं। हॉलाकि इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बावजूद इसके आज भी समाज में महिलाओं की स्थिति चितंनीय हैं। उत्तराखण्डी समाज भी भारतीय समाज का ही भाग हैं, जो स्त्री–पुरूष असमानता को अपने मूल में बनाए हुए हैं। इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में पितृसत्ता एक ऐसा औजार हैं, जो समाज में लैगिंक असमानता को बनाए रखती हैं। पितृसत्ता पर आधारित समाज व्यवस्था ही स्त्री–पुरूष की असमानता को बनाए रखती हैं। यहॉ भी ग्रामीण समुदायों में महिलाओं की स्थिति को प्रभावी ढंग से मान्यता नहीं दी जाती हैं। कुछ समुदायों में, उन्हें अपने पुरूष समकक्षों की तुलना में भेदभावपूर्ण व्यवहार का अनुभव होता हैं। वे कुछ अधिकारों और अवसरों से वंचित हैं, उन्हें घरेलू जिम्मेदारीयों के कार्यान्वयन के लिए पूरे दिल से खुद को समर्पित करने की अपेक्षा की जाती हैं। वर्तमान में राज्य में कई ऐसे कार्यक्रम और योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। जिससे महिलाओं को पुरूषों के समान अवसर प्राप्त हो, तथा लैगिंक असमानता को कम किया जा सके। समग्र रूप में देखा जाय तो उत्तराखण्ड की ग्रामीण महिलाएं उस मुकाम को प्राप्त नहीं कर पाई हैं। जिसकी वह हकदार हैं।

शब्द कुंजी– सशक्त, महिलाएं, अधिकार, अवसर, लैगिंग समानता।

प्रस्तावना– किसी भी समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जाती हैं। महिलाओं की स्थिति में समय–समय पर देश काल के अनुसार परिवर्तन होता रहा हैं। समय के साथ भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुये। समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका उतनी है, जितनी की शरीर को जीवित रखने के लिए जल, वायु और भोजन की हैं। स्त्रियॉ ही संतति की परम्परा में मुख्य भूमिका निभाती हैं। फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियॉ उपेक्षित ही रही हैं। उन्हें कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता हैं। इसी कारण महिलाओं की स्थिति अत्यन्त निचले स्तर पर हैं। भारतीय समाज की परम्परागत व्यवस्था में आजीवन पिता, पति, व पुत्र के संरक्षण में जीवनयापन करती रही हैं। भारतीय संविधान में पुरूषों एंव महिलाओं को समान दर्जा और अधिकार दिये जाने के बावजूद विकास व सामाजिक स्तर से महिलाएँ अभी भी पुरूषों से काफी पीछे हैं।

उत्तराखण्ड की संस्कृति प्राचीन काल से ही गौरवमयी रही हैं। यहॉ के लोग सामान्यतः परिश्रमी, ईमानदार, स्वाभिमानी, पराक्रमी, धार्मिक, सीधे–साधे तथा सरल स्वभाव के होते हैं। यहॉ की विषम भौगौलिक परिस्थितियों का सबसे अधिक शिकार पर्वतीय महिलाएं होती हैं। संघर्षो से भरा उनका जीवन अत्यन्त श्रम साध्य हैं। पुरूषों के अपेक्षा महिलाएँ यहॉ अधिक कार्य करती हैं। ट्रेल की रिर्पोट से पता चलता हैं। महिलाओं द्वारा आत्महत्या के अनेक मामले हुए– इस प्रदेश में महिलाओं को इतना अधिक कष्टकर जीवन बिताना पड़ता हैं। कि उनकी सुख–सुविधा की अवहेलना की जाती हैं। कि उनका अपने जीवन के प्रति निराशा होना स्वाभाविक हैं।[1] उत्तराखण्ड की भौगौलिक परिस्थितियॉ विषम होने के बाद भी यहॉ की महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन व पृथक राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई हैं। हॉलाकि महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन से नहीं जुड़ी पायी क्योंकि उनकी सामाजिक स्थिति बहुत दयनीय थी। बाल विवाह, बहु विवाह जैसी बुराइयॉ समाज में व्याप्त थी। विधवाओं की स्थिति भयावह थी। उन्हें सामाजिक कार्यो से दूर रखा जाता था। राज्य निर्माण के लिए भी महिलाओं द्वारा जगह–जगह प्रदर्शन किये जा रहे थे। समाज में विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं। चाहे मद्यनिषेध जैसी समस्या हो या खनन व वन एवं पर्यावरण महिलाओं ने पुरूषों के साथ–साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया हैं। महिलाएं घर गृहस्थी का पूरा काम काज निपटाने के साथ साथ राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में खेतों, खलिहानों कल–कारखानों, अस्पतालों में बहुमूल्य योगदान करती आई हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति–

सामाजिक सुरक्षा–

पर्वतीय महिलाओं का जीवन के प्रति दृष्टिकोण सहज हैं। उनका रहन सहन ना ही बनावटी हैं। और ना ही किसी प्रकार के हीन भावना से ग्रसित हैं। शराब व जुऍ के बढ़ते प्रचलन ने यहॉ के पारिवारिक और सामाजिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया हैं, बहुओं की स्थिति दयनीय व सोचनीय हैं। मुख्य रूप से जब तक वे सास–ससुर के साथ संयुक्त रूप में रहती हैं। सास बहुओं के झगड़े व तनाव पूर्ण स्थिति सामान्य बात हैं। वृद्वावस्था पहुॅचते–पहुॅचते वह सास की प्रस्थिति को प्राप्त हो जाती हैं। और फिर उसे एक तरफ अपने सास–ससुर व दूसरी तरफ बहु के प्रति उसी प्रकार के व्यवहार को दोहराते हुए देखा जा सकता हैं। जैसा कभी उसकी सास ने किया। इस प्रकार यह प्रक्रिया सतत चलती रहती हैं, व स्त्री ही स्त्री की शोषिका के रूप में देखी जाती हैं।

समाज में बाल विवाह का प्रचलन मौजूद हैं। इसका मुख्य कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होना हैं। कहीं कही अनमेंल विवाह भी देखने को मिलते हैं। आज भी लड़की की पसन्द को बहुत कम वरीयता दी जाती हैं। दहेज प्रथा वर्तमान समय में मौजूद हैं। इस वजह से आज भी लोग कन्या के जन्म को अच्छा नही मानते हैं। सामाजिक समानता के क्षेत्र में आज भी महिलाओं को संरक्ष्ण प्राप्त नही हैं। इसलिए समाज में महिलाओं के विरूद्व अपराधों में लगातार वृद्वि देखने को मिल रही हैं।

उत्तराखण्ड को शांत हिमालयी राज्यों की श्रेणी में रखा जाता हैं। राज्य महिला आयोग में हर वर्ष हजार से अधिक मामले महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, लैगिक मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में सुरक्षा क्षेत्र में निरन्तर प्रयासों के बावजूद महिलाओं को भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, तस्करी, जबरन वेश्वावृत्ति, आनॅर किलिंग, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी विभिन्न स्थितियों का साम़ना करना पड़ रहा हैं। ऑकड़े बताते हैं कि हर वर्ष महिलाओं के अपराधों में इजाफा हो रहा हैं। बलात्कार से लेकर छेड़खानी और घरेलू हिंसा के मामले राज्य में लगातार बढ़ रहे हैं।

वर्ष / अपराध प्रकृति	दहेज हत्या मामले	हत्या मामले	अपहरण मामले	बलात्कार मामले
2016	37	46	170	278
2017	32	47	200	304
2018	40	38	220	395
2019	42	46	240	546
2020	63	48	237	570
2021	70	50	370	741
2022	70	52	395	857

स्रोत– NCRB Report 2016-2021[2]

स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ष महिला अपराधों के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। जिसमें सर्वाधिक यौन हिंसा और अपराध के मामले हैं। महिलाओं के प्रति अपराध के ऑकड़ों में वृद्धि होना अत्यंत चिंताजनक हैं। जबकि इसमें लोकलाज सहित भय आदि से सामने आने वाले प्रकरणों का उल्लेख नहीं हैं। महिलाओं के बारे मे प्रदर्शित किये ऑकड़े अपूर्ण हैं। क्योंकि उनके प्रति किए गए सभी अपराधों को पुलिस में दर्ज नहीं कराया जाता हैं। तथा महिला के प्रति किए जाने वाले अपराधों को घरेलू मामला समझकर पुलिस उसमें हस्तक्षेप नहीं करती और स्त्रियॉ भी उन्हें बाहर उजागर करना उचित नहीं मानती हैं।

स्वास्थ्य समस्या–

जन सामान्य को प्रभावशाली स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाएं सुलभ कराने के लक्ष्य को लेकर सरकार के विभिन्न प्रयास आज भी प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं व व्यवस्थाओं के बाद भी परिवारों खासकर ग्रामीण समाज के परिवार पर चिकित्सा खर्च का दबाव कम नहीं हो पा रहा है। राज्य में आज भी प्रतिशत महिलाएं कुपोषण से जूझ रही है। मातृ मुत्य दर वर्ष 2019. के अनुसार 89 है। इसके साथ ही कैसंर,श्वास रोग,पेट से संबधित, गुर्दे की पथरी,व महिलाओं से संबन्धित बीमारियों जैसी अनेक बीमारियों से महिलाएं जूझ रही हैं । ग्रामीण क्षेत्रों ही नहीं पर्वतीय नगरों में आज भी प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति दयनीय है। पर्वतीय जिलों से गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए अब भी स्वास्थ्य सेवाओं का ज्यादातर भार मैदानी जिलों के अस्पतालों में ही है। चिकित्सकों की भारी कमी, दक्ष चिकित्सों का न होना, महिला रोग विशेषज्ञों की भारी कमी आदि समस्या के कारण प्रथम उपचार के लिए झाड़ फूंक व अन्य परम्परागत तौर तरीकों पर ही ग्रामीण समाज निर्भर है। हर साल ग्रामीण क्षेत्रों में वनाग्नि, कृषि कार्य, वन्य जीवों के हमलों , व अन्य बीमारियों आदि से निर्धन परिवारों की महिलाएं उपचार के दौरान दम तोड़ देती है। सरकार द्वारा प्रसव हेतु खुशियों की सवारी, 108 सेवाओं आदि की व्यवस्था तो की गई है लेकिन दक्ष चिकित्सों व उचित उपचार की व्यवस्था के अभाव में गंभीर बीमारियों में इसका लाभ महिलाओं को नहीं मिल पाता है। प्रसव के दौरान रास्ते में दम तोड़ना, वालों में बच्चों का जन्म होना, उपचार में लापरवाही आदि के अनेकों मामले आदि दिए संचार माध्यमों में प्रकाश में आते है। मध्यम वर्गीय समाज मौदानी क्षेत्रों जिसमें हल्द्वानी, बरेली, दिल्ली आदि स्थानों पर उपचार कराने को बाध्य हैं और राज्य में स्थापित मेडिकल कॉलेज, व बड़े संस्थान आज भी सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि राज्य में पूर्व में लागू स्वास्थ्य नीति में सुधार कर महिला स्वास्थ्य केंद्रित चिकित्सा नीति बनाकर उसपर कार्य करे। तत्काल ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सकों, महिला रोग विशेषज्ञों, शल्क चिकित्सकों ,मनो चिकित्सकों की तैनाती करे। जिससे आयुष्मान भारत के सपने का साकार किया जा सके और महिलाओं को स्वास्थ्य जनित समस्याओं से मुक्त कर उनके परिवेश में उन्हें स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके।

बढ़ती आर्थिक निर्भरता–

अशिक्षा, कौशलता की कमी, पहाड़ों से पुरुष का पलायन, आर्थिक दबाव और बिखरी खेती और जटिल भूगोंल के कारण पर्वतीय राज्यों क्षेत्रों में सभी कामों की धुरी पर महिलाएं होती है। यहॉ वह ईंधन जुटाने से चारा जुटाने व खेती करने और उसे समेटने के साथ पशुपालन में औसत 13 से 14 घंटे का समय देती है। पारिवारिक श्रमशील इस महिला के कार्य का कोई मूल्य अथवा मूल्यांकन नहीं होता है। जो उसके शोषण का मुख्य आधार है। महिलाओं के अधिक कार्यबोझ भी समस्या के समाधान के लिए समाज और सकरार दोनों स्तरों पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

राजनैतिक स्थिति–

स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर राज्य आंदोलन में उत्तराखण्ड की महिलाओ की राजनीतिक में भूमिका अहम रही हैं बाबजूद इसके जब राजनीति में महिला भागीदारी की आती हैं तो ऑकडे बेहद निराशजनक तस्वीर पेश करते है। महिला राजनीति में नहीं जा पाती है। पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी और अप्रत्यक्ष वोटर्स के रूप में भागीदारी दोनो स्तर पर ही गैर बराबरी होती हैं। उंत्तराखण्ड में 2008 से पंचायतो में महिलाओं की भागीदारी के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया ,परन्तु वस्तु स्थिति यह हैं कि महिलाओं की सत्ता में समुचित भागीदारी नहीं दिखायी देती है। प्राय; यह देखा जाता है कि प्रतिनिधि महिला के पुरुष सम्बधी उनका काम करते हैं व महिला मात्र रबड़ की मुहर बनकर ही रह जाती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत अनुच्छेद 243 (डी) और 243 (टी) जोड़े गए, जिसमें क्रमशः पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में प्रत्येक स्तर पर कुल सीटों का कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस प्रकार महिलाओं के लिए भागीदारी का एक मंच तैयार हुआ। यह निःसंदेह महिला सशक्तीकरण की दिशा में किया गया एक ईमानदार प्रयास है। इसके संदर्भ में कहा गया कि यह प्रावधान घूंघट में छिपी आधी आबादी की पूरी दुनिया ही बदल देगा। लेकिन इसके समक्ष व्यापक चुनौतियां हैं, क्योंकि इस पहल ने महिलाओं को कलम तो थमा दी लेकिन लिखना नहीं आता है।

प्रमुख सूचकांक–

किसी भी समाज का दायित्व है कि, वह महिलाओं को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षित माहौल प्रदान करे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एन0एफ0एच0एस0–5 (2019–2021) की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखण्ड की स्थिति निम्न पायी गयी ।

क्र0	संकेतक	उत्तराखण्ड की स्थिति
1.	06 वर्ष से ऊपर की महिलाऍ जो कभी स्कूल गयी (%)	75.2
2.	(15–49) आयु वर्ग की साक्षर महिलाऍ(%)	79.8
3.	(20–24) वर्ष की महिलाऍ जिनका विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में हुआ है(%)	9.8
4.	शिशु मृत्यु दर(प्रति 1000 जीवित जन्म)	39.1
5.	संस्थानिक जन्म(%)	83.2

6.	(15–49) आयु की महिलाएँ जिनका बॉडी मास इन्डेक्स सामान्य से कम (%)	13.9
7.	(15–49) आयु वर्ग की महिलाएँ जो एनीमिया है।(%)	42.6
8.	वर्तमान में विवाहित महिलाएँ(15–49) वर्ष जो आमतौर में 3 घरेलू निर्णयों में भाग लेती है।(%) (स्वयं की देखभाल के बारे में निर्णय,प्रमुख घरेलू खरीदारी, व अपने परिवार व रिश्तेदारो से मिलने का निर्णय)	91.0
9.	(18–49) आयु की विवाहित महिलाएँ जिन्होने कभी भी घरेलू हिंसा का अनुभव किया हो(%)	15.1

स्रोत– एन0एफ0एच0एस0–5,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार[3]

निष्कर्ष– उत्तराखण्ड में महिलाओं की विभिन्न स्थितियों का अध्ययन करने पर हम पाते हैं। कि राज्य में बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या, लैगिंक अनुपात, महिला हिंसा, यौन हिंसा, अपहरण, बलात्कार, अश्लील हरकतें व छेड़खानी, शैक्षिक पिछड़ापन, स्वास्थ्य व चिकित्सा जैसी मूलभूत सेवाओं की कमी, कठिन भौगौलिक परिस्थितियों में श्रम का दबाव, अधिकारों के प्रति जागरूकता में कमी, सरकारी और सामाजिक योजनाओं के लाभ से वंचित होने, कौशल शिक्षा में पिछड़ापन, मद्यपान व अन्य सामाजिक बुराइयों का बढ़ता चलन, बढ़ती बेरोजगारी में परिवार के भरण पोषण का दबाव, कम आय, कुपोषण, सांस्कृतिक प्रदूषण व अन्य आर्थिक व सामाजिक दबावों से यहॉ की महिलाएँ घिरी हैं, और इन कारणों के चलते वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में विभिन्न प्रकार के शोषण व उत्पीड़न से ग्रसित हैं।

शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक चेतना व संचार माध्यमों आदि से प्राप्त विवेक के आधार पर हाल के वर्षो में महिला वर्ग में अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति बढ़ी हैं। वे अपने अधिकारों, परेशानियों, अपने पक्ष के साथ अपनी सहमति और असहमति को अभिव्यक्ति करने लगी हैं।

सन्दर्भ सूची–

1) **ट्रेल, स्केच ऑफ कुमाऊं, एशियाटिक रिसर्च, कलकत्ता जिल्द 16, पृष्ठ 217।**

2) **NCRB Report 2016-2021**

3) **एन0एफ0एच0एस0–5,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार**